



न्यायमैव जयते
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 31/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री सुभाषचन्द्र पुत्र मंगलाराम निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
मै० सोखल किराना स्टोर, हनूमानगढ रोड, लालगढजाटान, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011


निर्णय

दिनांक : 14.03.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.08.2017 को दोपहर 06.00 पी.एम.पर फर्म मै० सोखल किराना स्टोर, हनूमानगढ रोड, लालगढजाटान, जिला श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मालिक श्री सुभाषचन्द्र पुत्र मंगलाराम निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को Ghee(Saras Brand) आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ Ghee(Saras Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद Ghee(Saras Brand) 20X1 लीटर में से जांच हेतु 4X1 लीटर Ghee(Saras Brand) खरीदा। Ghee(Saras Brand) की कीमत 1780/-रुपये अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार नमूना पैकटो सूखे एवं खाली को दिखाया, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा Ghee(Saras Brand) को चारो नमूना पैकटो को



(Handwritten signature)
श्री विनोद कुमार शर्मा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यलय अभिहित अधिकारी
(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
श्रीगंगानगर

बराबर-बराबर भरा, प्रत्येक पैकट में 40-40 बूंद फार्मलीन डाली, प्रत्येक नमूना पैकटो पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना पैकटो को कोर्क से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-811 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता सुभाषचन्द्र ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: एलएस/1786/एक्ट/2017/1840 दिनांक 23.08.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-811 **Ghee(Saras Brand)** अमानक स्तर (**Substandard Food**) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त सुभाषचन्द्र पुत्र मंगलाराम निवासी लालगढजाटान तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Ghee(Saras Brand)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Ghee(Saras Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (**Substandard Food**) पाया गया है। उसका बिल मेरे पास नहीं है। यह घी पैकिंग अवस्था में ही खरीदा गया था एवं पैकिंग अवस्था में बेचा गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार यह घी सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। मैंने मेरी ओर से इसमें कुछ नहीं मिलाया था, जैसा प्राप्त हुआ वैसा ही बेचा था। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ एवं मेरी यह प्रथम गलती है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर इस प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Ghee(Saras Brand)** का सैम्पल के-811 जांच रिपोर्ट संख्या: एलएस/1786/एक्ट/2017/1840 दिनांक 23.08.2017 द्वारा (**Substandard Food**) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02 - (**Substandard Food**) = 24.63% पाया गया जबकि Minimum 28.0 Agmark Special Grade. होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं



श्रीगंगानगर

मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Ghee(Saras Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **(Substandard Food)** पाया गया है। उसका बिल मेरे पास नहीं है। यह घी पैकिंग अवस्था में ही खरीदा गया था एवं पैकिंग अवस्था में बेचा गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार यह घी सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। मैंने मेरी ओर से इसमें कुछ नहीं मिलाया था, जैसा प्राप्त हुआ वैसा ही बेचा था। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ एवं मेरी यह प्रथम गलती है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर इस प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।


इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample **Ghee(Saras Brand)** " bearing Code No. and Sr. No. K-811 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **(Substandard Food)** Under Section 3[1][zx] of FSS, 2006 it does not conform to the prescribed purity of Standards of agmark special Grade ghee as per the provision of FSS [Food Product Standards and Food Aditives] Regulation 2011 जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 3000-00 (अखरे तीन हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Ghee(Saras Brand)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।